न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 5/2018 दायरा दिनांक : 11.01.2018

उनवान

श्रीकिशन उम्र 60 साल पुत्र श्री कंवर लाल, जाति मीणा, निवासी मूण्डला, तहसील मांगरोल, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार मांगरोल, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री कमलदीप सिंह अभिभाषक अपीलांट की ओर से

पैरोकार सरकार रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 31.05.2018

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, मांगरोल के प्रकरण संख्या – 10/2013 निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट ने रेस्पोडेंट के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89,

188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी साबिक खसरा नम्बर 598/10 रकबा 9 बीघा 5 बिस्वा किशनपुरा में स्थित है यह आराजी वादिनी को कीमतन आंवटित की गई थी जिसका मौके पर दखल दिया गया था । सैटलमेंट ने इसके हाल खसरा नम्बर 695 रकबा 1.06 हैक्टर कायम किया है जबकि इसका रकबा 1.48 हैक्टर होना चाहिए । 0.42 हैक्टर आराजी कम दर्ज की गई है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है । वादी का 9 बीघा 5 बिस्वा पर कब्जा है । अतः वादी का दावा स्वीकार कर खसरा नम्बर 695 रकबा 1.06 हैक्टर के स्थान पर 1.48 हैक्टर दर्ज किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.05.2017 को लोक अदालत में दावा वादी खारिज किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अपीलांट को बिना सुने दावा खारिज किया है । कोई डिक्री नहीं बनायी है । लोक अदालत में वादी उपस्थित नहीं था । तनकीयात कायम नहीं की गई है । साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान नहीं किया गया है । सी पी सी की पालना नहीं की गई है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय की जानकारी दिनांक 15.11.2017 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को आराजी कीमतन आवंटित हुई है । अपीलांट सम्पूर्ण आराजी पर काबिज काश्त है । सैटलमेंट विभाग ने बिना किसी अधिकार के वादी की आराजी कम दर्ज की है जिसे पूर्ण करने के लिए दावा पेश किया गया था । लोक अदालत में बिना वादी की उपस्थिति के बिना किसी सी पी सी की पालना किये दावा वादी खारिज किया गया है जो विधि विरूद्ध है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

पैरोकार सरकार ने कथन किया कि आराजी वादी की गैर खातेदारी में दर्ज है । अभी उसे खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं है । वादी का दावा चलने योग्य नहीं है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में पत्रावली जवाब सरकार में लम्बित थी और इसको कोर्ट कैम्प में रखा गया । कोर्ट कैम्प में वादी उपस्थित नहीं हुए हैं । तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त कर उसी दिन दावा खारिज किया गया है । वादी की अनुपस्थिति में बिना किसी राजीनामे के कोर्ट कैम्प में निर्णय पारित किया गया है जो सी पी सी के प्रावधानों एवं न्याय के प्राकृतिक सिद्धांतों के खिलाफ है । लोक अदालत में केवल उन्हीं प्रकरणों का निस्तारण किया जा सकता है जिसमें उभयपक्ष ने

उपस्थित होकर विधिक राजीनामा पेश किया हो । उसके अभाव में सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर तनकीवार निर्णय पारित किया जाना आवश्यक होता है । इस दृष्टि से अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.05.2017 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट प्रतिवादीगण से जवाबदावा प्राप्त कर तनकीयात कायम कर तनकीयात पर उभयपक्षीय साक्ष्य लेकर नये सिरे से विधि सम्मत रूप से तनकीवार निर्णय पारित करें । पक्षकार को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 16.08.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 31.05.2018 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा